न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 196/2020

सीता पुत्री मल्ला, जाति ढोली, आयु–70 वर्ष, जन्म निवास नलू, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर हाल चारणों का बास, तहसील रिया बडी, 219 जिला नागौर, राजस्थान । प्रार्थीया

विरुद्ध

1. मांगीलाल पुत्र बोदू जाति नायक, निवासी सांगानेर, जिला जयपुर कलवाडा, तहसील
2. नानूडी पत्नि भवानी शंकर, जाति नायक, नियासिन – कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
3. गंवरी पत्नि श्रीलाल, जाति ढोली, निवासिन नरसिंह कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
4. राजेन्द्र पुत्र खेताराम, जाति ढोली, निवासी 200 फीट रोड, पांचियावला, जयपुर।
5. भीमारान पुत्र गोरी शंकर, जाति ढोली, निवासी– खातीपुरा रोड, हसनपुरा, जयपुर !
6. मांगी पुत्री मल्ला पत्नि राजेन्द्र, निवासिन 200 फीट रोड, पांचियावला, जयपुर। 1
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ ।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार व भवानी सिंह
वकील अप्रार्थी श्री ध्रुव सिंह

दिनांक 09.09.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार व भवानी सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. के तहत पेश कर निवदेन किया कि प्राथीया मल्ला पुत्र बागा की पुत्री हैं तथा मल्ला पुत्र बागा ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे। मल्ला पुत्र बागा की वंशावली निम्नानुसार है कि मल्ला पुत्र बागा की दो पुत्रिया थी भंवरी देवी जिसकी पुत्र मांगी है एवं सोनकी देवी जिसके वारिसान सीता गोपाल व हनुमान है। मल्ला पुत्र बागा के अधिकार, मिलकीयत खातेदारी की निम्नांकित विवरण की कृषि भूमि ग्राम नलू तहसील किशनगढ, जिला अजमेर में अवस्थित थी जिसके खसरा संख्या 778 रकबा 09 बीघा 01 बीस्वा एवं खसरा संख्या 779 रकबा 09 बीघा 05 बीस्वा है। उपरोक्त वंशावली में वर्णित वादी के पिता मल्ला का दिनांक 03.11.1987 को देहावसान हो गया। प्रार्थीया उपरोक्त मल्ला पुत्र बागा की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस थी, किन्तु राजस्व अधिकारियों ने उपरोक्त मल्ला पुत्र बागा के देहावसान पश्चात् विरासत का निम्नानुसार नामान्तरण दर्ज किया :–"नामान्तरण संख्या 827 दिनांक 18.10.2001 को भंवरी बेवा मल्ला हिस्सा 1/2 एवं सोनकी बेवा मल्ला व गोपाल, हनुमान पुत्र मल्ला हिस्सा 1/2" उपरोक्त नामान्तरण जन्म से ही शून्य व निष्प्रभावी है। क्योंकि प्रार्थीया उपरोक्त मल्ला पुत्र बागा की पुत्री थी। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 6 भी मल्ला पुत्र बागा की पुत्री है। जिन्हें विरासत के उत्तराधिकार से वंचित रखा गया था तथा उपरोक्त नामान्तरण में वंशावली में वर्णित भंवरी पत्नि मल्ला का नाम हिस्से 1/2 पर तथा इसी प्रकार प्रार्थीया की माता श्रीमती सोनकी देवी एवं प्रार्थीया के भाई गोपाल व हनुमान का नाम 1/2 हिस्से पर दर्ज किया गया। उपरोक्त भंवरी पत्नि मल्ला का देहावसान हो चुका है। प्रार्थीया के भाई उपरोक्त हनुमान का दिनांक 15.12.2002 को देहावसान हो चुका है, किन्तु उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 ने आपस में मिली भगत कर प्रार्थीया के माता श्रीमती सोनकी देवी एवं प्रार्थीया के भाई गोपाल व हनुमान के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत कर निम्नांकित विवरण के विकय विलेखों से अप्रार्थी संख्या 1, 2 के पक्ष में प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करवाया जिसमें खसरा संख्या 778, 779 में अप्रार्थीगणों का नाम इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थीया की माता श्रीमती सोनकी देवी का दिनांक 19.2.2011 को एवं प्रार्थीया के भाई गोपाल का देहावसान दिनांक 01.07.2009 को हो चुका है, तथा प्रार्थीया के भाई हनुमान का तो दिनांक 15.12.2002 को ही देहावसान हो चुका है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 में वर्णित अप्रार्थी संख्या 1. 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया के पूर्वाधिकारी माता सोनकी एवं भाई गोपाल, हनुमान के अन्तरनिहित 1/2 हिस्से का विकय विलेख कूटरचित, कपटपूर्ण, शून्य व निष्प्रभावी हैं तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अधीन उपरोक्त प्रार्थीया सोनकी, हनुमान व गोपाल के हिस्से की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहित, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार विधिक वारिस है। प्रार्थीया के भाई गोपाल एवं प्रार्थीया की माता श्रीमती सोनकी ने उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 सहित, विकय विलेख के गवाहान मांगीलाल व लालाराम आदि के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण परिवाद एवं नाराजगी याचिका सक्षम आपराधिक विचारण न्यायालय में उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 में वर्णित विकय विलेख कूटरचित, कपटपूर्ण होने के अनुक्रम में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120–बी के अधीन की थी। जिसमें योग्य न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि० संख्या 1 किशनगढ ने दिनांक 15.11.2019 को उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 में 7 वर्ष तक अवधि के लिये कारावास एवं आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया था तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2 सहित विकय विलेख के साक्ष्य मांगीलाल व लालाराम के विरूद्ध पुलिस को 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियोग जांच के लिये भिजवाया गया है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 में वर्णित उपरोक्त कूटरचित विक्रय विलेखों 8. के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने नामान्तरण संख्या 1099 दिनांक 03.01.2006 के जरिये उपरोक्त खसरा संख्या 779 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं का नाम एवं खसरा संख्या 778 की संपूर्ण भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वयं का नाम दर्ज करवा दिया। उपरोक्त नामान्तरण जन्म से ही शून्य, निष्प्रभावी है। यह विधि से सुस्थापित है कि, कूटरचित कपटपूर्ण प्रलेख के आधार पर यदि कोई आदेश प्राप्त किया जाता हैं तो वह जन्म से ही शून्य, निष्प्रभावी है एवं इसी अनुकम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्याय दृष्टान्त 2004 एस० ए० आर० पृष्ठ संख्या 1 पर निम्न सिद्वान्त प्रतिपादित किया हैं :– Fraud on Court Fraud as is well & known vitiates Fraud and justice never dwells every solemn act innocent together It is also well settled that misrepresentation itself amounts misrepresentation may also give reason to claim relief to fraud Indeed- against fraud & An act of fraud on court is always viewed seriously- विशेषतः ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 में वर्णित विकय विलेख कूटरचित होकर उनके अनुक्रम में आपराधिक प्रकरण में अप्रार्थी सख्या 3 लगायत 5 को दण्डादेश से भी दण्डित किया गया हैं एवं अनुसंधान के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के वास्तविक फोटोग्राफ एवं विकय विलेख निष्पादन समय प्रार्थीया की माता एवं प्रार्थीया के भाई गोपाल, हनुमान मिथ्या रूप से बनकर जो विकय विलेख पर फोटो चस्पा किये गये थे से ही उपरोक्त विक्रय विलेख शून्य प्रमाणित होता है। विशेषतः ऐसी स्थिति में जब प्रार्थीया के भाई हनुमान का दिनांक 15.12.2002 को देहावसान हो चुका था एवं विकय विलेख दिनांक 24.11.2005 के समय उपरोक्त हनुमान को भी जीवित बताकर, विकय विलेख निष्पादित करवाया गया है तो उपरोक्त परिपेक्ष में प्रथम दृष्टयां ही अप्रार्थी संख्या 1, 2 का नाम उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्से पर दर्ज शून्य, निष्प्रभावी हो जाता है। उपरोक्त भूमि के बाबत् अप्रार्थी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज नामान्तरण संख्या 1089 दिनांक 03.01.2006 जन्म से ही शून्य प्रार्थीया के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी हैं तथा प्रार्थीया के हित, अधिकार उपरोक्त नामान्तरण से निसार नही होते है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 के नाम उपरोक्त वादग्रस्त ग्राम नलू स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 779, 778 कपटपूर्ण, कूटरचित विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज की गयी है एवं आपराधिक प्रकरण में भी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 को दण्डादेश से दण्डित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 के विरूद्ध उपरोक्त कूटरचित विक्रय विलेख के अनुकम में न्यायालय ने प्रकरण अनुसंधान के लिये सम्प्रेषित किया है। यह विधि से सुस्थापित है कि, कूटरचित, कपटपूर्ण प्रलेख से किसी को भी, किसी भी रूप में लाभान्वित नही किया जाना चाहिये। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वह साद अधीन भूमि को किसी भी रूप में बैचान, बय, बख्शीस नही करें तथा प्रार्थीया के काश्त कार्यों में बाधा नहीं करें तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वह उपरोक्त भूमि बैचान, बय, बख्शीस कर देंगे। जिससे वाद, विवाद का विस्तार होगा। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय दाति के बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्राथर्थी संख्या 1 लगायत 5 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि, ग्राम नलू स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 778 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा व खसरा संख्या 779 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वां में प्रार्थीया के अन्तरनिहित हिस्से में प्रार्थीया के उपयोग, उपभोग में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

Scanned with OKEN Scanner

किसी प्रकार से बाधा नहीं करें प्रार्थीया के काश्त कार्यों में बाधा नही करें, किसी भी प्रकार से अन्तरण, दान, बैचान, बय, बख्शीस नही करें, भारग्रस्त नहीं करें, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध पारित की जावें।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.09.2020 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.02.2021 को वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश किया गया तथा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि प्रार्थना पत्र अधीन आराजी वाकै ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त पैरा के शेष कथन गलत व निराधार होने से पूर्ण रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीया स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के कथन मल्ला का देहावसान कब हुआ तथा उसके वारिसान कौन है तथा नामान्तकरण संख्या 827 दिनांक 18.10.2001 किसके नाम खोला उक्त पैरा के समस्त कथन ज्ञान में न होने के कारण पूर्णरूप से अस्वीकार है, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के कथन ज्ञान में न होने के कारण पूर्ण रूप से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 के कथन ज्ञान में न होने के कारण पूर्ण रूप से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में कराया गया विक्रय विलेख किसी प्रकार से शून्य व निष्प्रभावी नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सद्भावी क्रेता है उनके द्वारा सद्भावी तौर पर प्रार्थना पत्र अधीन आराजी क्रय की गयी है जो प्रार्थना पत्र अधीन आराजी पर क्रय के दिनांक से आज दिन तक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के कथन गलत व निराधार होने से पूर्ण रूप से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया गया, न दिनांक 15.11.2019 को न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 किशनगढ़ द्वारा दण्डित किया गया। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 के कथन गलत व निराधार होने से पूर्ण रूप से अस्वीकार है। विक्रय विलेखों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1099 दिनांक 03.01.2006 खसरा संख्या 779 की भूमि पर व खसरा संख्या 778 की सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया है वह विधि प्रक्रिया अनुसार ग्राम पंचायत नलू द्वारा नामान्तकरण खोला गया था जो नामान्तकरण जन्म से ही शून्य लाल निष्प्रभावी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 के कथन गलत व निराधार होने से पूर्ण रूप से अस्वीकार है। नामान्तकरण संख्या 1089 दिनांक 03.01.2006 जन्म से शून्य व निष्प्रभावी नहीं है ग्राम पंचायत नलू द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार नामान्तकरण खोला गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 के कथन गलत व निराधार होने से पूर्ण रूप से अस्वीकार है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति तीनो बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में है। अप्रार्थीगण गत 16 साल से सद्भावी रूप से क्रय कर कृषि आराजी पर आज दिन तक शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अधीन आराजी के खातेदार काश्तकार है उन्हे उक्त आराजी के बाबत् सभी अधिकार प्राप्त है जो एक खातेदार को होने चाहिये। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तो प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 11 के कथन प्रार्थना प्रार्थीया गलत व निराधार होने से पूर्णरूप से अस्वीकार है। प्रार्थीया किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा तथा रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किये जाने योग्य है। निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। ग्राम पंचायत नलू द्वारा मल्ला पुत्र बागा जो कि प्रार्थीया का पिता बताया गया है उसका विरासत का नामान्तरण खोला गया था उक्त विरासत नामान्तकरण ग्राम पंचायत नलू द्वारा खोला गया था उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा सजरा के आधार पर खोला गया था उक्त सजरा में प्रार्थीया को मृतक मल्ला पुत्र बागा की पुत्री नहीं बताया गया है तो आज प्रार्थीया मृतक मल्ला पुत्र बागा की बेटी कहाँ से पैदा हो गई प्रार्थीया की ओर से ऐसा कोई राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया है। प्रार्थीया द्वारा नामान्तकरण संख्या 827 दिनांक 18.10.2001 को चेलेन्ज किया जाता है उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत नलू द्वारा खोला गया था ग्राम पंचायत नलू आवश्यक पक्षकार मुकदमा है उसे पक्षकार मुकदमा न बनाये जाने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन आराजी पर आज दिन तक कोई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा काश्त नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र नो पजेशन नो टी.आई. के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सद्भावी क्रेतागण है जो ग्राम नलू से करीब 100–125 किलोमीटर ग्राम कलवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के निवासी है उनके द्वारा सद्भावना पूर्वक प्रतिफल राशि देकर प्रार्थना पत्र अधीन आराजी को जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जो क्रय दिनांक 24.11.2005 से आज दिन तक शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की खरीद शुदा कृषि आराजी का ग्राम पंचायत नलू द्वारा विधिक रूप से नामान्तकरण खोला गया था जो नामान्तकरण संख्या 1089 दिनांक 03.01.2006 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर द्वारा खोला गया था अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र अधीन आराजी के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र अधीन आराजी बाबत् कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चला था, न अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 को किसी न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन आराजी बाबत् दण्डित नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 के पक्ष में प्रार्थना पत्र अधीन आराजी दिनांक 24.11.2005 को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड विक्रय की गयी थी उसे आज करीब 16 साल का समय हो चुका है प्रार्थीया द्वारा आज तक रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त कराने का दावा किसी सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया गया है रजिस्टर्ड दस्तावेज को चेलेन्ज सिविल न्यायालय में ही किया जा सकता है। अतः श्रीमान् की सेवा में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विरूद्ध किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है प्रार्थीया अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है खारिज किये जाने की कृपा करावें।

3. दिनांक 12.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य स्वीकार है तथा प्रार्थीया द्वारा वांछित अनुतोष प्रार्थीया को दिये जाने पर अप्रार्थी संख्या 06 को कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिनांक 09.09.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थीया का हक अधिकार निहित है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर प्रार्थीया के अधिकार निहित हैं एवं प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नलू स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 778, 779 में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादअधीन भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner